भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1142**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025/3 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों पर निर्भरता

1142. श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बांदा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खेती के लिए उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि इसका मृदा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि पर निर्भर है;
(ख) क्या सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों के लिए समय पर आवश्यक उर्वरक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और इसका उक्त क्षेत्र में कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और
(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): उत्तर पूर्वी राज्यों को छोडकर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। दोनों स्कीमें जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन तक, संपूर्ण सहायता प्रदान करने पर ज़ोर देती हैं। इन स्कीमों का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर बनाना है ताकि आपूर्ति श्रृंखला बनाई जा सके। दोनों स्कीमों का क्रियान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से किया जाता है।

पीकेवीवाई के तहत, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से किसानों को ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म आर्गेनिक आदानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन आदि के लिए 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर 3 वर्ष के लिए, प्रमाणन और अवशेष विश्लेषण के लिए 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तीन वर्ष के लिए दिए जाते है। प्रशिक्षण जागरूकता एवं क्षमता निर्माण के लिए 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता 3 वर्ष के लिए प्रदान की जाती है।

एमओवीसीडीएनईआर के तहत, किसान उत्पादक संगठन के गठन, आर्गेनिक आदानों आदि के लिए किसानों को सहायता आदि के लिए 3 वर्षों में कुल 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, किसानों को इस स्कीम के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 15,000 रुपये सहित ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म आर्गेनिक आदानों के लिए 32,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है। आईसीएस प्रबंधन, प्रशिक्षण और प्रमाणन (एनपीओपी) की गतिविधियों के लिए 3 वर्षों में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य स्तर पर मूल्य श्रृंखला विपणन के लिए 3 वर्षों में 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, बजट घोषणा, 2023 के अनुसरण में और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की सिफारिशों पर, सरकार ने बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक) को मंजूरी दी है, जिसके तहत गोबरधन पहल के तहत संयंत्रों में उत्पादित मृदा कार्बन संवर्द्धक जैसे एफओएम/एलएफओएम और जैविक उर्वरक जैसे प्रोम को बढ़ावा देने के लिए 1500 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से सहायता प्रदान की जाती है। सरकार की इन पहलों से रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग का समाधान होने और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी आने की अपेक्षा है।

(ख) और (ग): वर्ष 2025 के चल रहे खरीफ मौसम के दौरान देश भर में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही। हालाँकि, राज्य के भीतर ज़िला स्तर पर उर्वरकों का वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को उर्वरकों की यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iv) डीएएंडएफडब्ल्यू और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि पदाधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरक भेजने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

******